राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ–3(ख)/आर– 587/90/अलेसे–II/199 दिनांक–

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री रामकुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण कोटा से अधिशाषी अभियंता, आर.एम.सी. खण्ड–I, सी.ए.डी. एवं ए.डी.पी कोटा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिंह द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री रामकुमार सिंह को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक** 9.5.18 **मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते है कि श्री सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामकुमार सिंह को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें** अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ–3(ख)/आर– 587/90/अलेसे–II/199 दिनांक–

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण कोटा।
2. अधिशाषी अभियंता, आर.एम.सी. खण्ड–I, सी.ए.डी. एवं ए.डी.पी कोटा।
3. श्री रामकुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण कोटा।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)